उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,

संख्या-39/2015/59मु0स0/92-1-2015-40(जॉच)/2015,

लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2015

प्रतिकूल प्रविष्टि

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27-4-2015 को आजमगढ़ मण्डल की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि श्री इकरामुल हक खॉन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही बरती गयी है। श्री इकरामुल हक खॉन का उक्त कृत्य अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति उनकी उदासीनता भी परिलक्षित करता है।

2- अतएव, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने के लिये श्री इकरामुल हक खॉन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ को एतद्द्वारा 'प्रतिकूल प्रविष्टि' प्रदान की जाती है।

डा0 प्रभात कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2015/59मु0स0(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि श्री इकरामुल हक खॉन को तामील कराकर प्राप्ति रसीद शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र)/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ़।

3- श्री इकरामुल हक खॉन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ।

4- सम्बन्धित की चरित्र पंजिका में रखे जाने हेतु।

5- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या-437/14/पीएसएमएस/एजीएम/2015, दिनांक 06-5-2015 के अनुपालन में अवगतार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in